पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या- 666

2011 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 22732

==========

गाँव के निवासी स्वर्गीय रामजी सिंह के पुत्र राजदेव सिंह, निवासी- भरपुरा गाँव, डाकघर और थाना सोनपुर, जिला-सारण।

.... याचिकाकर्ता-अपीलार्थी

बनाम

1. बिहार राज्य
2. प्रधान सचिव, भूमि अधिग्रहण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. समाहर्ता, सारण, छापरा।
4. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सारण, छापरा।

.....उत्तरदाता प्रथम सेट/उत्तरदाता प्रथम सेट।

5. पन्ना लाल कंवर, स्वर्गीय बिंदा साह की विधवा उर्फ बिरदा नाथ साह।
6. परशुराम साह,
7. शंभू साह, स्वर्गीय बिंदा साह उर्फ बिरदा नाथ साह के दोनों बेटे, उत्तरदाता संख्या 5 से 7 निवासी-भरपुरा, पी. ओ. और थाना सोनपुर, जिला-सारण।

.... उत्तरदाता दूसरा सेट/उत्तरदाता दूसरा सेट।

==========

उपस्थिति:

अपीलार्थी के लिए : श्री नागेंद्र राय, अधिवक्ता

श्री नवीन निकुंज, अधिवक्ता

प्रतिवादी-राज्य के लिए : श्री आसिफ कलीम, ए.ए.जी.-12 के सहायक सलाहकार

उत्तरदाताओं के लिए : श्री संतोष कुमार, अधिवक्ता

==========

मूल याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का रुख किया, जिसमें प्रतिवादी को निर्देश देने की मांग की गई कि वह संबंधित भूमि के लिए मुआवजा

राशि मूल प्रतिवादी को न दें और मुआवजा राशि मूल याचिकाकर्ता और एक अन्य व्यक्ति को दी जाए।

रिट याचिका में, मूल याचिकाकर्ता भूमि पर अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा, जबकि मूल प्रतिवादी ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किए। इसके आधार पर, मुआवजा राशि मूल प्रतिवादी को देने का निर्णय लिया गया।

निर्णय - न्यायालय ने पाया कि जिस निर्णयों का उल्लेख खंडपीठ द्वारा किए गए निर्णय में किया गया है, वे इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह आवेदन भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत नहीं था, और विवाद मुआवजा राशि के अधिकार के संबंध में मूल याचिकाकर्ता और मूल प्रतिवादी के बीच था। यह विवाद केवल सिविल कोर्ट के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, जहां पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। इसलिए, याचिका में मांगी गई राहत को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विचार या प्रदान करना आवश्यक नहीं है। (पैरा 4)

याचिका खारिज की जाती है। (पैरा 5)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

मौखिक निर्णय

(माननीय मुख्य न्यायाधीश के अनुसार)

तिथी: 27-09-2018

1. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2016 को 2011 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 22732 में पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त याचिका में मांगी गई किसी भी राहत को देने से इनकार कर दिया है, मूल याचिकाकर्ता ने वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील की प्राथमिकता दी है।

2. सर्वप्रथम यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि मूल याचिकाकर्ता ने उपरोक्त के रिट याचिका माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। रिट याचिका में प्रतिवादी राज्य प्राधिकारियों को निर्देश देने की माँग की गई है कि वे मूल प्रतिवादी संख्या-5 को प्रश्नगत भूमि के लिए मुआवजा राशि का भुगतान न करें, जिसका प्लॉट संख्या-2188 है, जो खाता संख्या-942, क्षेत्र एक कट्ठा से संबंधित है, जो ग्राम भरपुरा, थाना- सोनपुर, जिला- सारण में स्थित है, तथा मुआवजे की राशि केवल मूल याचिकाकर्ता और श्री राजेश्वर सिंह को भुगतान करने का निर्देश दिया जाए।

3. यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य के अनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष राज्य की ओर से यह मामला था कि चूँकि मूल याचिकाकर्ता प्रश्नगत भूमि पर अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा और मूल प्रतिवादी संख्या-5 ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किए इसलिए, मूल प्रतिवादी संख्या-5 को मुआवजा देने का निर्णय लिया गया। इसलिए, मूल याचिकाकर्ता ने वर्तमान

याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इसे खारिज कर दिया गया है। संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने और आक्षेपित निर्णय और आदेश पर विचार करते हुए, हमारी राय है कि अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील यह प्रस्तुत करने में उचित है कि जिन निर्णयों पर आक्षेपित निर्णय में संदर्भित विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भरोसा किया जाता है, के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे। वर्तमान आवेदन भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत एक आवेदन नहीं था तथा विवाद मूल याचिकाकर्ता और मूल प्रतिवादी संख्या- 5 के बीच मुआवजे की राशि की हकदारी के संबंध में।हालाँकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विवाद मूल याचिकाकर्ता और मूल प्रतिवादी संख्या-5 के बीच मुआवजे के अंतर दावे के संबंध में है, विशेष रूप से, मुआवजे की राशि के संबंध में, विवाद को केवल दीवानी न्यायालय के माध्यम से हल करने की आवश्यकता है, जिसके समक्ष पक्षों को साक्ष्य को प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।इस प्रकार, याचिका में मांगी गई राहत पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

5. उपरोक्त अवलोकन के साथ, वर्तमान पत्र पेटेंट अपील खारिज कर दी जाती है।

(मुकेश आर. शाह, मुख्य न्यायाधीश)

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

सुनील/- एस. शुकला

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।